न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

दावा संख्या–48 / 2019

वाद प्रस्तुति दिनांक :–04.06.2019

उनवान

मोहनी देवी पत्नि रतिराम जाति जाट निवासी ग्राम इमामनगर तहसील पीपलू जिला टोंक

वादीया

बनाम

मोहनलाल पुत्र चिरंजीलाल जाति बैरागी बाबाजी निवासी ग्राम सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर

(कुल कस–05 प्रतिवादीगण)

<u>दावा बाबत् तकास्मा</u>

अधिवक्ता वादीगणः– श्री राजेन्द्र गुर्जर अंतिम निर्णय दिनांकः–28.08.2019

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01:–श्री राधाकिशन गुर्जर

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02:– श्री विवेक चौधरी

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार पीपलू से दिनांक 26.06.2019 को चाही गई तकास्मा रिपोर्ट दिनांक 18.07.2019 को दो–दो प्रतियों में पेश की जा चुकी है। जो शामिल पत्रावली हैं।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी हैं। न्यायालय में उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। उभयपक्ष अधिवक्ता ने वादीगण की तथा प्रतिवादीगण की पहचान की एवं तकास्मा रिपोर्ट के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया हैं।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

अतः दावा बावत् तकास्मा स्वीकार किया इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा न0 57 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, ख0न0 65 रकबा 12 बिस्वा, ख0न0 67/1 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा वाकै ग्राम इमामनगर की भूमि वादीया के हक में तथा ख0न0 70 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 118 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा, ख0न0 67/2 रकबा 05 बिस्वा, ख0न0 119/2 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 02 के हक में तथा ख0न0 112 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 01 के हक में तकास्मा रिपोर्ट अनुसार रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्में अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं नक्शा शीट में तकास्में अनुसार तरमीम करें। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हों। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
उप खण्ड अधिकारी